

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रं./एफ-831/1/सा.प्र.वि./विविध/2022/2/5

भिलाई, दिनांक 21/11/2022

// कार्यवाही विवरण //

नगर पालिक निगम, भिलाई में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में छ.ग. स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ एवं छ.ग. कर्मचारी कांग्रेस संघ की संयुक्त परामर्श दात्री समिति की बैठक दिनांक 10.11.2022 को सभागार में 04:00 बजे आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

1. श्री रोहित व्यास	आयुक्त एवं अध्यक्ष
2. श्री ए.के.द्विवेदी	अपर आयुक्त एवं सदस्य सचिव/संयोजक
3. श्री रामवृक्ष यादव संघ के अन्य दस सदस्य	अध्यक्ष, छ.ग. स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ
4. श्री संजय शर्मा संघ के अन्य दस सदस्य	संयोजक, छ.ग. कर्मचारी कांग्रेस संघ

संयुक्त परामर्श दात्री समिति की बैठक दिनांक 10.11.2022 में उल्लेखित मांग बिन्दुओं पर संघों के साथ चर्चा की गई। चर्चानुसार निम्नलिखित समस्याओं पर गहन विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

- निगम भिलाई में कार्यरत शेष बचे हुए दैनिकवृत्ति, कार्यभारित, आकस्मिकता निधि कर्मचारियों के नियमितीकरण किया जावें। — दिनांक 31.12.1997 के पश्चात् नियुक्त दैनिकवृत्ति/आक.मद/कार्यभारित कर्मचारियों के नियमितीकरण की अनुमति शासन से अप्राप्त है। अनुमति प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। अवर सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 12-1 /2022/1-3 दिनांक 13.09.2022 के द्वारा अनियमित/दैनिकवृत्ति भोगी एवं संविदा पर कार्यरत् कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में जानकारी चाही गई है जिसकी कार्यालयीन जानकारी पत्र क्रं./एफ- /1/सा.प्र.वि./विविध/2022/967 दिनांक 03.10.2022 के द्वारा संचालक संचालनालय, रायपुर को प्रेषित की गई है।

(कार्यवाही पूर्ण)

- शासन के आदेशानुसार अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भुगतान दिनांक 07 तारीख के पूर्व निकाय किये जाने के निर्देश है। अतः प्रत्येक माह के 07 तारीख से पूर्व वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जावे। —निगम मद में अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण वेतन भुगतान की कार्यवाही में विलम्ब हो रहा है।

(कार्यवाही लेखाधिकारी)

- भविष्य निधि की राशि प्रतिमाह वेतन के साथ कर्मचारियों के खाते में जमा किया जावें। — जून 2022 तक र्जी.पी.एफ. की राशि प्रेषित की गई है। जुलाई से सितम्बर 2022 तक 03 माह की राशि प्रेषित किये जाने हेतु लेखा शाखा में लंबित है। अतः चर्चानुसार निर्देशित किया जाता है कि संघ की मांग अनुसार भविष्य निधि की राशि प्रतिमाह वेतन के साथ अधिकारी/कर्मचारियों के खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही लेखाधिकारी/सहायक अधीक्षक भ०नि०)

क्रमशः.....

4. कर्मचारियों की पदोन्नति किये जाने बाबत् (वर्ष 2008 में नियमित किये गये विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों का नियमानुसार पदोन्नति किया जावे।) कर्मचारी कांग्रेस प्रकोष्ठ का मांग बिन्दु क्रमांक 04 – शासन द्वारा पद संरचना के अधीन पदोन्नति हेतु उपलब्ध पदों पर भर्ती नियम 2018 में उल्लेखित निर्धारित योग्यता पूर्ण करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों की पदोन्नति की गयी है जिन कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति/पद परिवर्तन हेतु माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया है। याचिका में पारित निर्णय के आधार पर पदोन्नति/पद परिवर्तन हेतु पद रिक्त नहीं है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2102 दिनांक 29.01.2022 के द्वारा छ.ग. शासन को पद स्वीकृत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। वर्तमान में शासन से किसी प्रकार की अतिरिक्त पदस्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है जिससे कार्यवाही लंबित है।

चर्चानुसार निर्देशित किया जाता है कि संघ की मांग अनुसार वर्तमान में पदोन्नति हेतु उपलब्ध रिक्त पदों पर लंबित पदोन्नति प्रकरणों पर कार्यवाही कर पदोन्नति आदेश जारी करें।

(कार्यवाही अधीक्षक सांप्रदायिक)

5. सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को अर्धवार्षिकी पूर्ण सेवा दिनांक को ही अर्जित अवकाश की राशि का भुगतान किया जावें। कर्मचारी कांग्रेस प्रकोष्ठ का मांग बिन्दु क्रमांक 11 – सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति तिथि को उनके खाते में अवकाश नगदीकरण की राशि का भुगतान किया जा रहा है।

(कार्यवाही पूर्ण)

6. नवीन अंशदायी पेंशन योजना को (N.P.S.) की राशि को मांगकर कर्मचारियों के खाते में जमा करने बाबत्। कर्मचारी कांग्रेस प्रकोष्ठ का मांग बिन्दु क्रमांक 09 –इस संबंध में विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर पत्र क्रमांक 564 दिनांक 16.07.2021 के माध्यम से राशि कर्मचारियों के खाते में प्रेषित करने हेतु उप संचालक (पेंशन) संचालनालय, रायपुर को लिखा गया है तथा स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ के पत्र क्रमांक 26 दिनांक 01.10.2019 के संदर्भ में पूर्व में उप संचालक (पेंशन) संचालनालय, रायपुर को पत्र क्रमांक 1576 दिनांक 05.11.2019 प्रेषित किया गया है शासन से किसी प्रकार का निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

(कार्यवाही पूर्ण)

7. अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का निराकरण कर शीघ्र नियुक्ति प्रदान किया जावें। –स्वीकृत पद संरचना अनुसार चतुर्थ श्रेणी पद में रिक्त पद न होने के कारण अनुकम्पा नियुक्ति नहीं किया जा सका है। तृतीय श्रेणी में 10 प्रतिशत सीमाबंधन के अधीन उपलब्ध पदों को अनुकम्पा के द्वारा भर दिया गया है पद उपलब्ध न होने के कारण लंबित प्रकरणों की छायाप्रति कर संचालक संचालनालय रायपुर को प्रेषित किया जावें तथा स्वच्छता पर्यवेक्षक के 10 प्रतिशत सीमाबंधन के अधीन उपलब्ध 01 पद पर नियुक्ति हेतु छानबीन समिति की बैठक दिनांक 19.10.2022 में नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। कार्यवाही पूर्ण कर आदेश जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही अधीक्षक सांप्रदायिक)

8. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी प्रदान कर सिलाई की राशि का भुगतान किया जावें। – वर्दी हेतु पात्रता धारी कर्मचारियों की सूची स्टेशनरी शाखा में प्रेषित किया गया है। बजट नहीं होने के कारण वर्दी प्रदाय नहीं किया जा रहा है।

(कार्यवाही पूर्ण)
क्रमशः.....

9. पूर्व की भांति निगम कर्मचारियों को सर्ते दर पर आवासीय भूखण्ड का आबंटन किया जावें अथवा मकान निर्भित कर आबंटन किया जावें। — कर्मचारियों को सर्ते दर पर आवासीय भूखण्ड का आबंटन किये जाने का छ.ग. शासन से आदेश/निर्देश अप्राप्त है। प्रकरण शासन स्तर का होने के कारण निगम से कार्यवाही नहीं किया जा सकता।

(कार्यवाही पूर्ण)

10. अधिकारी/कर्मचारियों के सेवानिवृत्त से 06 माह पूर्व उनके साथ कर्मचारी संलग्न किया जावें। — कार्यालयीन व्यवस्था के अनुसार सर्व विभाग प्रमुखों द्वारा 06 माह पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के साथ विभागीय कर्मचारी संलग्न कर कार्य संपादित कराया जाना सुनिश्चित करें। इस आशय का परिपत्र जारी किया जावें।

(कार्यवाही अधीक्षक साठप्र०वि०)

11. आवासगृहों का मरम्मत (संधारण) एवं नया निर्माण हेतु। — जोन कार्यालय जोन 01 एवं 03 के द्वारा आवासगृहों का समय-समय पर मरम्मत (संधारण) कार्य किया जाता है। नये आवासगृह निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार नहीं है।

(कार्यवाही पूर्ण)

12. जोन कार्यालय 05 अत्यंत छोटा पड़ रहा है अतः शीघ्र अतिशीघ्र 2-4 कमरा निर्माण कराने बाबत। — बजट नहीं होने के कारण कमरा निर्माण की कार्यवाही नहीं किया जा रहा है।

(कार्यवाही पूर्ण)

13. संविदा नियुक्ति प्रथा समाप्त किये जाने बाबत। — शासन द्वारा वर्तमान में संविदा नियुक्ति का आदेश जारी नहीं किया गया है।

(कार्यवाही पूर्ण)

14. क्रमोगत पदोन्नति। — नियमानुसार पात्र कर्मचारियों को क्रमोन्नत वेतनमान निर्धारित अवधि पूर्ण होने पर पदोन्नति समिति में प्रकरण विचारार्थ रखकर गोपनीय प्रतिवेदन के अवलोकन् पश्चात् पात्र पाये जाने पर आदेश जारी किया जाता है। वर्तमान में 02 उप अभियंताओं का प्रकरण महापौर परिषद् के अधीन गठित समिति में विचारार्थ रखकर कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही अधीक्षक साठप्र०वि०)

15. समयमान वेतनमान। — नियमानुसार पात्र कर्मचारियों को समयमान वेतनमान निर्धारित अवधि पूर्ण होने पर पदोन्नति समिति में प्रकरण विचारार्थ रखकर गोपनीय प्रतिवेदन के अवलोकन् पश्चात् पात्र पाये जाने पर आदेश जारी किया जाता है। वर्तमान में प्रथम/तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के कुल 13 प्रकरण पदोन्नति समिति में विचारार्थ रखे गये हैं अनुमोदन पश्चात् आदेश जारी किये जाने की कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही अधीक्षक साठप्र०वि०)

16. अनुकम्पा नियुक्त कर्मचारियों को स्टायपेण्ड वेतन देना अनुचित है। — सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर दिनांक 28.07.2022 को जारी अधिसूचना में छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम 1961 एवं छ.ग. मूलभूत नियम 22 सी के उप-नियम (1) में संशोधन कर सीधी भर्ती पर नियुक्त व्यक्तियों को तीन वर्ष की परीविक्षा अवधि में रखे जाने एवं सीधी भर्ती पर चयनित शासकीय सेवकों को परीविक्षा अवधि में निर्धारित स्टायपेण्ड क्रमशः प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% में वेतन

क्रमशः.....

निर्धारित किया गया है शासन के उपरोक्त निर्देशों के परिपालन में नगर पालिक निगम, भिलाई में सीधी भर्ती पद के विरुद्ध अनुकम्पा नियुक्त कर्मचारियों को निर्धारित स्टायपेण्ड अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 871 दिनांक 29.06.2021 के द्वारा छ.ग. शासन से अनुकम्पा नियुक्त कर्मचारियों को स्टायपेण्ड अनुसार वेतन भुगतान निर्देश लागू होगा अथवा नहीं इस संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है, मार्गदर्शन अप्राप्त है।

(कार्यवाही अधीक्षक साठप्र०वि०)

17. मृतक परिवार के सदस्य को 03 माह के भीतर देनदारी तथा अनुकम्पा नियुक्ति प्रदाय किया जाये तथा पद रिक्त होने तक प्लसेमेंट में रख जाये। — मृतक अधिकारी/कर्मचारियों के देय स्वत्वों का भुगतान की प्रक्रिया हेतु नस्ती शीघ्र प्रस्तुत कर समयावधि में कार्यवाही पूर्ण कर ली जाती है।

(कार्यवाही पूर्ण)

18. ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान किये जाने बाबत।— सेवानिवृत्त/मृतक अधिकारी/कर्मचारियों के उपादान की राशि का भुगतान शासन द्वारा किया जाता है। दैनिकवृत्ति अवधि का निगम भिलाई से भुगतान किया जाना है। ऐसे तकरीबन 192 कर्मचारियों का भुगतान लंबित है इस हेतु संचित निधि से भुगतान की अनुमति हेतु छ.ग. शासन को पत्र लिखे जाने के पूर्व प्रकरण महापौर परिषद् के समक्ष विचारार्थ रखा जाये। कार्यवाही के दौरान लंबित 192 प्रकरणों में प्रतिमाह सेवानिवृत्ति/मृत्यु तिथि के आधार वरिष्ठता तय कर उपादान भुगतान किये जाने की कार्यवाही लेखाधिकारी द्वारा पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

(कार्यवाही अधीक्षक साठप्र०वि० / लेखाधिकारी)

19. भिलाई इस्पात संयंत्र से आवास आबंटित करने बाबत। — कर्मचारियों द्वारा स्वयं के नाम से आबंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर आवेदन को अनुशासित कर बी.एस.पी. महाप्रबंधक को भेजा जाता है तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। बी.एस.पी. महाप्रबंधक से चर्चा कर संघ की इस मांग पर कार्यवाही किया जावें।

(कार्यवाही आयुक्त स्टेनो)

20. जिन बिन्दुओं (पदसंरचना) पर शासन को पत्राचार किया गया है। — कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2102 दिनांक 29.01.2022 एवं पत्र क्रमांक 493 दिनांक 27.06.2022 के द्वारा छ.ग. शासन को अतिरिक्त पदसंरचना हेतु अनुरोध किया गया है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 268 दिनांक 10.08.2022 के द्वारा स्मरण पत्र प्रेषित किया गया है। पुनः स्मरण पत्र प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही अधीक्षक साठप्र०वि०)

(रोहित व्यास)
आई.ए.एस.

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 21/11/2022


पृ.क्र. / एफ-837 / 1 / सा.प्र.वि. / विविध / 2022 / 1218

प्रतिलिपि :-

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

क्रमश.....

3. अधीक्षण अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त-1/2, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. लेखाधिकारी/अधीक्षक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं कार्यवाही किये जाने हेतु पालनार्थ।
6. जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. सहायक अधीक्षक, भविष्य निधि नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. अध्यक्ष, छ.ग. स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. अध्यक्ष, छ.ग. कर्मचारी कांग्रेस संघ, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
10. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आदरश्यक कार्यवाही हेतु।
11. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।



आयुक्त
भगर पालिक निगम
भिलाई